मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :–अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 197/2024

1. खुशपिन्दर कौर पत्नी बलराजसिंह जाति जटसिख निवासी गुरुसर मोडिया चक 26 एमओडी तहसील सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर।
2. गुरदीपकौर पत्नी सरवजीतसिंह जाति जटसिख निवासी गुरुसर मोडिया चक 26 एमओडी तहसील सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर।
3. सवनीत बराड़ पुत्र बलराजसिंह जाति जटसिख निवासी गुरुसर मोडिया चक 26 एमओडी तहसील सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर।

—— वादीगण

–:बनाम:–

1. बलराजसिंह पुत्र सरबजीतसिंह जाति जटसिख निवासी गुरुसर मोडिया चक 26 एमओडी तहसील सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर।
2. तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

—— प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए. बाबत खाता विभाजन

–:निर्णय:–

दिनांक :– 21/10/24

वादी की ओर से श्री कुलदीप सिंह धालीवाल अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 1 की ओर से श्री अरविन्द ताखर अधिवक्ता, राज पैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को अमिता बिश्नोई आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अन्तर्गत वाद मे वर्णित कृषि भूमि का निम्नानुसार खाता विभाजन किया जाता है:–

1. वादी स. 1 को प्राप्त हुई भूमि–

चक 29 एमओडी(ए) के खाता स. 30/19 के पनम्बर–19/258 (13) के किला न. 16/1/0.215, 16/2/0.038, 17 ता 20 की 1.265 हैक्ट. नहरी, अनकमाण्ड मय गैरमुमकिन भूमि

2. वादी स.2 को प्राप्त हुई भूमि–

चक 29 एमओडी(ए) के खाता स. 30/19 के प.न. 19/259 (20) के किला न. 1 ता 4, 5/1/0.215, 5/2/0.038 की कुल 1.265 हैक्ट. नहरी अनकमाण्ड मय गैरमुमकिन

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.10.28 10:31:54 IST
Reason: SelfAttested

3. वादी स 3 को प्राप्त हुई भूमि –

चक 29 एमओडी(ए) के खाता स.30/19 के प.न. 19/258(13) के किला न. 21 ता 24, 25/3/0.215,25/2/0.038 की कुल 1.265 हैक्ट. नहरी अनकमाण्ड मय गैरमुमकिन रास्ता भूमि

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

4. प्रतिवादी स.1 को प्राप्त हुई भूमि–

चक 29 एमओडी(ए) के खाता स. 30/19 के प.न. 19/258(13) के किला न. 11/2/0.089, 12 ता 14, 15/1/0.215, 15/2/0.038 की कुल 1.10 1 हैक्टेयर नहरी मय गैरमुमकिन रास्ता भूमि

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होनें की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होनें की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार) पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 21/10/24 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(अमिता बिश्नोई, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.10.28 10:31:54 IST
Reason: SelfAttested